

## पूर्व मध्य रेल

कार्यालय,  
मंडल रेल प्रबन्धक (का0)  
सोनपुर

संख्या- का/207/समापक/पेंशन अदालत-24/सोन

दिनांक-29.01.2024

मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

विषय :-पेंशन अदालत दिनांक-15.03.2024 का आयोजन के संबंध में ।

\*\*\*\*\*

सेवा निवृत्त/मृत कर्मचारियों के आश्रितों का पेंशन से संबंधित परिवाद का निस्तारण हेतु सोनपुर मंडल स्तर पर दिनांक 15.03.2024 को पेंशन अदालत का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर सभा कक्ष में 11.00 बजे किया जाना सुनिश्चित किया गया है ।

जिसके लिए समसंख्यक पत्र दिनांक-29.01.2024 द्वारा हिन्दी में अधिसूचना जारी की गई है। जिसे पूर्व मध्य रेल के बेवसाईट [www.ecr.indianrailways.gov.in](http://www.ecr.indianrailways.gov.in) (click Division)>Sonpur>Personnel) में अपलोड किया गया है एवं साथ ही इसे मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) पूर्व मध्य रेल/सोनपुर कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चिपका दिया गया है।

अधिसूचना को दैनिक अखबार में प्रकाशित किये जाने हेतु अधिसूचना (हिन्दी) की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

1. अधिसूचना दिनांक-04.02.2024 तक दैनिक अखबार में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित होगा।
2. अधिसूचना (हिन्दी) प्रति में संलग्न की जाती है।
3. अधिसूचना का प्रकाशन का व्यय लेखा शीर्ष सं0-11-215-21 से किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न अधिसूचना को दैनिक अखबार में प्रकाशित किए जाने का व्यवस्था की जाये।


संलग्नक-यथोपरि।

  
(अभिषेक कुमार)

सहायक कार्मिक अधिकारी-।  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)/सोनपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सभी कर्मचारी कल्याण निरीक्षक/ सोनपुर मंडल, कृपया उपरोक्त का प्रचार- प्रसार अपने संबंधित वीट में कराने की व्यवस्था की जाय ।
- 2- मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू/ओबीसी/एससी,एसटी एशोसियेशन/सोनपुर मंडल, कृपया अपने स्तर से प्रचार- प्रसार कराने की व्यवस्था की जाय ।
- 3-अखिल भारतीय रेल सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ, मंडल शाखा कार्यालय/सोनपुर (सारण) ।

  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का) सोनपुर

**पूर्व मध्य रेल  
सोनपुर मंडल  
पेंशन अदालत दिनांक-15.03.2024 हेतु सूचना  
आवेदन प्राप्त हेतु अंतिम तिथि-25.02.2024**

पेंशन परिवादों के निष्पादन के लिए पेंशन अदालत का आयोजन 15.03.2024 को 11:00 बजे मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर समा कक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवा निवृत्त कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपना पेंशन से संबंधित परिवाद का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेल/सोनपुर को दिनांक-25.02.2024 तक समर्पित करें।

1. आवेदक का नाम :-
2. मू० पू० कर्मचारी का नाम:-
3. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल:-
4. मू० पू० कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध
5. वर्तमान पता:-
6. सेवानिवृत्ति की तिथि:-
7. सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य,स्वेच्छिक/अनिवार्य):-
8. मू० पू० कर्मचारी की मृत्यु तिथि:-
9. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान:-
10. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रण अधिकारी:-
11. पेंशन भुगतान आदेश सं० (P.P.O.की पूर्ण प्रति संलग्न करें)
12. बैंक का अद्यतन खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस.सी कोड एवं खाता संख्या अंकित हो।
12. शिकायतो का विस्तृत विवरण:-


आवेदक का हस्ताक्षर

पेंशन संबंधी परिवाद यदि हो तो, उसे एक लिफाफा में उपर दिये गये प्रारूप में जिसके उपर पेंशन अदालत दिनांक 15.03.2024 लिखा हो, उपरोक्त संबंधित पते पर दिनांक-25.02.2024 तक अथवा इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए।

कृपया, ध्यान दें कि वे शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं है जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन बढ़ोतरी आदि, पेंशन अदालत के अंतर्गत विचारनीय नहीं होगी।

सेवानिवृत्त के उपरांत 15 वर्ष या अधिक पूरा कर चुके पेंशनर, कृपया ध्यान दें:-

सेवानिवृत्ति रेल कर्मचारी कम्यूटेशन (पेंशन संराशीकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन + संराशीकरण) के भुगतान हेतु पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात् बैंक/डाकघर आदि) से सीधे सम्पर्क करें।

  
सहायक कार्मिक अधिकारी-।  
पूर्व मध्य रेल, सोनपुर